# छत्तीसगढ़ शासन
## आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ–16–68 / 2009 / 25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13 - MAY 2024

**प्रति,**

**कलेक्टर (समस्त)**
छत्तीसगढ़

**विषय :–** **शैक्षणिक सत्र 2024–25 के प्रारंभ होने के पूर्व छात्रावास / आश्रम भवनों की आवश्यक व्यवस्था एवं पूर्व तैयारी हेतु निर्देश।**

---000---

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास / आश्रम विभाग के महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जहाँ विद्यार्थी अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तथा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् एक संस्कारी एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव छात्रावास / आश्रम भवनों की स्थापना व सुचारू संचालन तथा विद्यार्थियों के अनुकूल वातावरण निर्माण में शासन की भूमिका और बढ़ जाती है।

इस संबंध में विभाग द्वारा जिले के सहायक आयुक्तों को समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उन दिशा–निर्देशों के अनुरूप संस्थाओं का निर्बाध संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2024–25 प्रारंभ होने के पूर्व आगामी 15 जून, 2024 तक छात्रावास / आश्रमों में निम्नानुसार तैयारियाँ सुनिश्चित की जावे :–

1. सर्वप्रथम छात्रावास में उपलब्ध समस्त मूलभूत सुविधाओं का ऑकलन कर लिया जावे। तदोपरांत उन मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड किये जाने अथवा सुधार किये जाने की आवश्यकता को चिन्हांकित किया जावे।

2. मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भवन, पेयजल, विद्युत, अहाता आदि सम्मिलित है। जिन्हें अपग्रेड किये जाने हेतु पृथक्–पृथक् प्राक्कलन की आवश्यकता होगी। अतः भवन के कमरों, उनकी आकृति एवं स्थिति, दरवाजें, खिड़कियां, दीवाले, छत तथा विद्युत, शौचालय, स्नानागार, रसोई कक्ष, पेयजल व्यवस्था (हैण्डपंप, ट्यूबवेल, ओवर हैड टैंक, पीने हेतु पानी टंकी), संबंधी उन्नयन हेतु प्रस्तावित कार्यों के वास्तविक प्राक्कलन स्थल पर जा कर ही तैयार करें।

3. छात्रावास / आश्रमों की मरम्मत :– ऐसे छात्रावास / आश्रम भवन जिनकी छत खपरैल की हो अथवा पक्की हो किन्तु जर्जर अवस्था में हो तथा पानी टपकता हो, उन्हें बरसात के पूर्व मरम्मत कराकर ठीक करा लिया जाए। शौचालय, स्नानागार, सैप्टिक टैंक, नल की टोंटी, जल आपूर्ति, विद्युत वितरण, फर्श तथा दीवार की मरम्मत, खिड़की दरवाजों की मरम्मत, पुताई आदि के प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्वीकृति उपरांत मरम्मत एवं अनुरक्षण मद अन्तर्गत प्रदान किये गये आबंटन से कार्य योजना तैयार कर छात्रावास / आश्रम खुलने के पूर्व पूर्ण करा लिया जाए। अतः ऐसे मरम्मत कार्य जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है यथा छत की मरम्मत, फर्श की मरम्मत, शौचालय की मरम्मत, आदि सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण करा लिया जावे। साथ ही किराये के भवन में लगने वाले संस्थाओं में आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध है अथवा नहीं यह भी सुनिश्चित किया जावे।

.....2

4. प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल के जियोटैग युक्त फोटोग्राफ्स भी लिये जावें तथा उक्त फोटोग्राफ्स को विभाग द्वारा चाही गई जानकारी के साथ आवश्यक रूप से भेजा जावे। शीघ्र ही विभाग द्वारा समस्त छात्रावास/आश्रमों की जियोटेगिंग की कार्यवाही की जाकर वेबपोर्टल में अपलोड किया जावेगा।

5. आश्रम शाला/छात्रावास भवनों के उन्नयन अंतर्गत करायी जाने वाली पुताई पेंटिंग हेतु एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से एक निश्चित कलर काम्बिनेशन का ध्यान रखा जाना है।

उपरोक्त कार्यों के उचित सम्पादन हेतु जिले में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार निरीक्षण दल गठित किये जाकर निर्वाचन कार्यों को अबाधित रखते हुए आगामी 15 जून, 2024 तक आपके जिले में संचालित समस्त छात्रावास/आश्रमों का शत्–प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित किया जावे तथा इन दलों के द्वारा सप्ताह में किये गये कुल निरीक्षण का साप्ताहिक प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

| **क्र.** | **जिले में कुल छात्रावास/आश्रमों की संख्या** | **इस सप्ताह में किये गये निरीक्षण** | **अब तक किये गये निरीक्षण** | **शेष** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

उपरोक्त समस्त कार्य आगामी वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए कराया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिले में आपके नेतृत्व में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का अनुरोध है।

**(सोनमणि बोरा)**
**प्रमुख सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग,
अनुसूचित जाति विकास विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

पृ. क्रमांक/एफ–16–68/2009/25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13 - MAY 2024

**प्रतिलिपि :–**

1. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. **समस्त सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास, जिला————————(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**प्रमुख सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग,
अनुसूचित जाति विकास विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग